

अपर श्रम अधिकारी (सहायक)

(23)

उत्तर प्रदेश शासन
श्रम अनुभाग-2
संख्या: 260/छत्तीस-2-14-19/2006
लखनऊ : दिनांक: 30 मई, 2014

अधिसूचना

3/6/14

साधारण खण्ड अधिनियम-1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित श्री मजदूरी संसदाय अधिनियम-1936 (अधिनियम संख्या 4, सन् 1936) की धारा 15 की उप धारा (1) के अपर श्रम अधिकार प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या-605/36-2-2011-19/2006, दिनांक 14 दिसम्बर, 2011 का अधिकरण करके राज्यपाल नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित "अधिकारियों" को, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में उनके समक्ष विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत नियोजित व्यक्तियों या कर्मचारियों की मजदूरी से कटौतियों से उत्पन्न होने वाले समस्त दावों, जिसमें ऐसे दावों के आनुषंगिक सभी विषय भी सम्मिलित हैं, अथवा मजदूरी के संदाय में होने वाले विलम्ब की सुनवाई करने और उनका विनिश्चय करने के लिए "प्राधिकारी" के रूप में नियुक्त करते हैं-

अनुसूची

उप क्रम संख्या	विहित प्राधिकारी	अधिकारिता का क्षेत्र
1	2	3
1.	श्रमायुक्त उ0प्र0 एवं मुख्यालय कानपुर में तैनात समस्त अपर श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त तथा न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले पात्र सहायक श्रमायुक्त।	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
2.	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त एवं गाजियाबाद क्षेत्र में कार्यरत न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले पात्र सहायक श्रमायुक्त।	गाजियाबाद, बुलन्दशहर तथा हापुड।
3.	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त एवं नोएडा क्षेत्र (गौतमबुद्धनगर) में कार्यरत न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले पात्र सहायक श्रमायुक्त।	गौतमबुद्धनगर।
4.	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त एवं कानपुर क्षेत्र में कार्यरत न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले पात्र सहायक श्रमायुक्त।	कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया
5.	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त एवं वाराणसी क्षेत्र में कार्यरत न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले पात्र सहायक श्रमायुक्त।	वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर तथा चन्दौली।
6.	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त एवं लखनऊ क्षेत्र में कार्यरत न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले पात्र सहायक श्रमायुक्त।	लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, लखीमपुरखीरी तथा सीतापुर।
7.	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त एवं मेरठ क्षेत्र में कार्यरत न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले पात्र सहायक श्रमायुक्त।	मेरठ तथा बागवत।
8.	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त एवं सहारनपुर क्षेत्र में कार्यरत न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले पात्र सहायक श्रमायुक्त।	सहारनपुर, मुजफ्फरनगर तथा शामली।
9.	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त एवं आगरा क्षेत्र में कार्यरत न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले पात्र सहायक श्रमायुक्त।	आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद तथा मथुरा।
10.	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त एवं अलीगढ़ क्षेत्र में कार्यरत न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले पात्र सहायक श्रमायुक्त।	अलीगढ़, एटा, हाथरस तथा कासगंज।
11.	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त एवं इलाहाबाद क्षेत्र में कार्यरत न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले पात्र सहायक श्रमायुक्त।	इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी तथा प्रतापगढ़।

lab 2 adhisuchna

73
04-6-14

12.	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त एवं पिपरी-सोनभद्र क्षेत्र में कार्यरत न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले पात्र सहायक श्रमायुक्त।	मिर्जापुर, सोनभद्र तथा सन्तरविदार नगर।
13.	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त एवं आजमगढ़ क्षेत्र में कार्यरत न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले पात्र सहायक श्रमायुक्त।	आजमगढ़, मऊ तथा बलिया।
14.	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त एवं गोरखपुर क्षेत्र में कार्यरत न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले पात्र सहायक श्रमायुक्त।	गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, तथा महाराजगंज।
15.	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त एवं झांसी क्षेत्र में कार्यरत न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले पात्र सहायक श्रमायुक्त।	झांसी, ललितपुर तथा जालौन।
16.	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त एवं फैजाबाद क्षेत्र में कार्यरत न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले पात्र सहायक श्रमायुक्त।	फैजाबाद, बाराबकी, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, तथा अमेठी।
17.	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त एवं चित्रकूटधाम(बांदा) क्षेत्र में कार्यरत न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले पात्र सहायक श्रमायुक्त।	बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर तथा महोबा।
18.	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त एवं बस्ती क्षेत्र में कार्यरत न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले पात्र सहायक श्रमायुक्त।	बस्ती, सिद्धार्थ, नगर तथा संतकबीर नगर।
19.	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त एवं देवीपाटन(गोण्डा) क्षेत्र में कार्यरत न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले पात्र सहायक श्रमायुक्त।	गोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती तथा बलरामपुर।
20.	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त एवं बरेली क्षेत्र में कार्यरत न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले पात्र सहायक श्रमायुक्त।	बरेली शाहजहांपुर, पीलीभीत तथा बदायूं।
21.	क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त एवं मुरादाबाद क्षेत्र में कार्यरत न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव रखने वाले पात्र सहायक श्रमायुक्त।	मुरादाबाद, रामपुर, सम्भल, बिजनौर, तथा अमरोहा।
22.	विकास आयुक्त, विशेष आर्थिक परिक्षेत्र	अधिकारिता की अपनी स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत।

आज्ञा से

शैलेश कृष्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या-260(1)/36-2-14, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को राजकीय असाधारण गजट दिनांक-30 मई, 2014 के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड(ख) में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा इसकी 200 प्रतियाँ श्रम अनुभाग-2 को भेजने का कष्ट करें।
2. श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानपुर।
3. समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त(द्वारा श्रमायुक्त)।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से


(एन0बी0 सिंह)
अनुसचिव।